

बेबाकी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
APPLICATION FOR NO DEMAND CERTIFICATE

(आवेदक द्वारा भरा जाए और अपेक्षित महीने से पहले भवन अनुभाग को भेजें)
 (To be filled by the applicant and send to the Building Section for month before the anticipant)

From:/प्रेषक

सेवा में/To

संपदा अधिकारी /Estate Officer
 (भवन अनुभाग /Building Section)
 एफआरआई, पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून
 FRI, P.O. New Forest, Dehradun

1. आवास कब से अधिकृत है/Accommodation occupied since:

क्र. सं. /S.N.	आवास का विवरण Particulars of accommodation	दखल ओक्यूफेशन/की अवधि Period of occupation	पदनाम सहित कार्यालय का नाम जहां कार्यरत है Office in which remained employed with designation

2. सेवामुक्त /सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र की तिथि

Date of Relieving/retirement/resignation etc.

3. (a) घर के प्रतिधारण की अवधि /Period of retention of house

(b) प्रतिधारण के लिए आधार /Ground for retainior

4. (a) अंतिम परिलब्धि) प्रति माह) (एफआर-45-सी के तहत(

Last emolument (per month) (as under FR-45-C)

(b) तिथि जब से आहूत की जा रही है /Date from which drawn

5. क्या अन्य सरकारी/भा.प.शि.अ.वा.कर्मचारी के लिए ज़मानत प्रस्तुत की गई है

Whether stood surety for other Govt./ICFRE servant

हाँ / नहीं /YES/NO

Particulars of Govt. servant for whom stood surety

सरकारी कर्मचारी का विवरण जिसके लिए ज़मानत प्रस्तुत की गई थी

नाम /Name	आवास का विवरण / Particulars of accommodation

आवेदक के हस्ताक्षर /Signature of applicant

पदनाम/Designation _____

(आवेदक के कार्यालय द्वारा भरा जाना है / To be filled by the applicant's office)

संख्या/No

दिनांक /Dated

सत्यापन के उपरांत संपदा अधिकारी, भवन एवं विविध अनुभाग, भा.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को
 अग्रेषित की गई।

Verified & Forwarded to the Estate Officer, Building & Misc. Section, I.C.F.R.E. - Forest Research Institute,
 Dehradun.

Signature/ हस्ताक्षर _____

Office/ कार्यालय _____

प्रतिभूति बंध पत्र

मैं श्री पुत्र श्री जो इस समय में के रूप में नियोजित हूँ भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक के प्रति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात परिषद कहा गया है और जिस पक्ष के अन्तर्गत उनके उत्तराधिकारी और समनुवेशिती भी है) सरकार द्वासा श्री को दिये गए निवास स्थान के संबंध में तथा किसी ऐसे निवास स्थान, रिक्त स्थान अतिरिक्त सेवकों के क्वाटरों या गैराजों के लिए भी जो परिषद द्वारा समय-समय पर उसको दिए जाएं, उसके द्वारा अनुज्ञाप्ति शुल्क और अन्य देय रकमों के संदाय में लिए गए इस द्वारा होता हूँ (जिस पद के अन्तर्गत मेरे वारिस, निष्पादक और प्रशासक भी हैं)।

मैं प्रतिभू सब हानि और नुकसान के लिए परिषद की तब तक क्षतिपूर्ति करता रहूँगा जब तक उक्त निवास स्थान आदि को खाली करके उसका कब्जा परिषद को नहीं दे दिया जाता। मैं प्रतिभू परिषद द्वारा मांग करने पर और बिना किसी आपत्ति के ऐसी सभी राशियों का जो परिषद को यथा पूर्वागत देय हो जाए, परिषद को संदाय करने के लिए इसके द्वारा वचनबद्ध होता हूँ और इस द्वारा इस बात के लिए सहमत हूँ कि परिषद मेरे संदेय वेतन में से उक्त राशियों को वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी (और ऐसा करने के लिए वह इस द्वारा अप्रतिसंहरणीय रूप से प्राधिकृत होगी) और इस प्रकार वसूल की जाने वाली रकम के बारे में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

मैंने जो बाध्यताएं ग्रहण की है वे उक्त (जिसको निवास स्थान आदि दिया गया है उसका नाम) को परिषद द्वारा दी गई मोहलत या अन्य उदारता के कारण या किसी भी अन्य ऐसे मामले या ऐसी बात के कारण अन्योचित या किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगी जिसका प्रभाव, इस उपबन्ध के अभाव में, प्रतिभूओं से संबद्ध विधि के अधीन मुझे मेरे ऐसे दायित्व से निर्मुक्त करना होता।

यह प्रत्याभूति तब तक जब तक किसी ऐसे निवास स्थान, सेवकों के क्वाटरों या गैरेजों का, जो उस व्यक्ति के लिए तक दिया गया था अधिभोगाधिन हो, खाली करके परिषद को कब्जा नहीं दे दिया जाता, न तो मेरी मृत्यु से निष्पाधित होगी और न किसी समय मेरे द्वारा परिषद को लिखित सम्पत्ति के बिना प्रतिसंहन की जा सकेगी। परन्तु फिर भी यह प्रत्याभूति उस दिनांक से यथात्ध्यत समाप्त हो जाएगी जिस तारीख से श्री सरकारी निवास पर सभी देयों का भुगतान कर देते हैं।

परिषद ने इस दस्तावेज के लिए स्टाम्प शुल्क यदि कोई हो, देना स्वीकार किया है। वर्ष की माह की तिथि को न्यू फोरेस्ट में उक्त श्री हस्ताक्षरित और परिदत्त।

साक्षी के हस्ताक्षर, पता और उपजीविका

प्रतिभू के हस्ताक्षर
कार्यालय का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिभू स्थायी सरकारी सेवक है। उसकी आयु वर्ष है और उसका मासिक वेतन रु है।

लेखा अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी